

पत्रक,

सचिव,

प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार,

सेवा में,

अध्यक्ष, सचिव

राजकीय विद्यालय शिक्षा समिति, राम व रोड, बरहैन जामिया, गाजीपुर-202001/21/111  
संस्था का नाम- राजकीय विद्यालय बरहैन जामिया, गाजीपुर-202001/21/111

पत्रक-प्राथम/परिषद/2022/7387

संलग्न दिनांक-08-08-2022

विषय- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मों से काउन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के पत्रों 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 asy11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 asy12561-63 Online Application for 2022-23) दिनांक 04-08-2022 को मंजूर करने का कष्ट करे जिसके अनुसार मैं सत्र 2022-23 हेतु शिक्षणोत्तर इन फार्मों से पाठ्यक्रम संश्लेषित किये जाने हेतु अन्य द्वारा सहमति/अनापति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षणोत्तर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम-1962 (संशोधित) 1974 की धारा-12(1) में प्रदान अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पीसीआई, नई दिल्ली से प्रकृत संसदन एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन/परिषद ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मों से काउन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 asy12561-63 Online Application for 2022-23(DS)), Online Application for 2022-23(AS) दिनांक 04-08-2022 में दिग्गो अनापति के अनुक्रम में सत्र 2022-23 में शिक्षणोत्तर संश्लेषित के आधार पर संस्था को सहमति/अनापति पत्र इस प्रसिद्धि के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मों से काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रकृत अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आगत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं करता गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापति पत्र प्रतिकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्तित पत्रों का पूर्ण क्रिये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पीसीआई एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अधिलेखीय भव्यपन एक माह के अंदर कराया जाएगा। पीसीआई/परिषद के मानकों के क्रम में दिग्गो अधिलेखी के स्थापन की पूर्ण व होने पर अनावर्तित सतकाल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

भारतीय,

(पत्रक) श्री 00 अनापति  
सचिव

पुं०-प्राथम/परिषद/2022/7388-89

संदिनांक-08-08-2022

प्रतिनिधि-निष्प्रतिष्ठित को सूचनाार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उ०प्र० कानपुर।
2. राजस्वर-कम-सेक्रेटरी, फार्मों से काउन्सिल ऑफ इंडिया, कम्पाइन्ड काउन्सिल मिनिस्टर्, टैम्पल लेन, कोर्टहा रोड, एच०-ए-मिनिस्टर् मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(पत्रक) अनापति  
सचिव